10.10.17 पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का तथा प्रस्तुत दृष्टान्तों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा विद्वान वकलाय की बहस पर मनन किया गया। ग्राम गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43, 780/43 व 44 के राजस्व रिकार्ड एवं कब्जा काश्त को लेकर विवाद उत्पन्न हो रखा है। न्यायालय हाजा में उक्त वर्णित भूमियो के संबंध में वादपत्र विचाराधीन चल रहा है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला बनता है। चूंकि विवादित भूमि के हक हकुक का निर्णय तो वादपत्र की विधिवत सुनवाई के पश्चात ही तय होना है । लेकिन तब तक विवादित भूमि को लेकर पक्षकारान के मध्य अनावश्यक विवाद एवं मुकदमाबाजी नहीं बढे। इसके लिए अनावेदकगण को वादपत्र का निर्णय होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से किया जाना व विवादित भूमि के मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

आवेदक का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है। अनावेदकगण को वादपत्र के निस्तारण होने तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे ग्राम गिरावड़ी तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 43, 780/43 व 44 के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा मूल वाद के संलग्न रहे।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 10/10/17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

Scanned by CamScanner